अक्टूबर २०, २०१८

सेवा में

पुलिस अधीक्षक

बिलासपुर, छत्तीसगढ़

विषय: भारतीय दंड संहिता, १८६० की धरा ३७९ सपठित कॉपीराइट अधिनियम, १९५७ की धाराओं ३७, ५१, ६३, ६५ और ६९ के अन्तर्गत शिकायत।

श्रीमान जी,

यह वर्त्तमान शिकायत स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जो की कंपनी अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत निगमित है की तरफ से दायर की जा रही है, जिसका पंजीकृत कार्यालय स्टार हाउस, उर्मि एस्टेट, ९५ गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई - ४०००१३ और जिसका निगम कार्यालय प्लाट नो. ७७, इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर ३२, गुडगाँव, हरयाणा - १२२००१ में स्थित है।

यह की कंपनी इन टीवी चैनल्स 'स्टार गोल्ड', 'स्टार मूवीज', 'स्टार वन/ लाइफ ओके', 'स्टार प्लस', 'स्टार उत्सव', 'स्टार वर्ल्ड', 'चैनल वी', 'स्टार गोल्ड एक्शन', 'स्टार स्पोर्ट्स' आदि का भारत में मालिक/सञ्चालन/प्रबंधन/प्रसारित करती है।

स्टार चैनल्स भुगतान चैनल्स हैं और उनके सिग्नल एन्क्रिप्टेड/सांकेतिक है ।इनको शब्दों में विकोड करने के लिए और कंपनी के चैनल्स देखने के लिए इंटीग्रेटेड डिजिटल सॅटॅलाइट रिसीवर सह डिकोडर बॉक्स ("डीसीआर") कंपनी द्वारा देश भर के केबल/दीटीअच् संचालकों को उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि ग्राहकों को विकोड सिग्नल पुनः संचारित करते हैं।केवल लाइसेंस प्राप्त/अधिकृत मुलती सिस्टम ऑपरेटर ("एम्एसओ")/ स्तानीय केबल संचालक ग्राहकों को ("एलसीओ") ग्राहकों को स्टार चैनल्स संचारित कर सकते हैं।

कंपनी कॉपीराइट अधिनियम के तहित उक्त स्टार चैनल्स के प्रसारण पुर्नउत्पादन अधिकार सहित बौद्धिक संपादन अधिकार और सभी अधिकारों, शीर्षकों, हितों की मालिक है और स्टार चैनल्स का शिकायतकर्ता से लाइसेंस लिए बिना अनधिकृत पूण संचरण भारतीय दंड सहित कि धारा ३७९ के तहित एक चोरी का अपराध कारित करना होगा।आगे भी अगर कोई भी आदमी ऐसा करता है जैसा धारा ५१ कॉपीराइट अधिनियम में वर्णित है और वह शिकायतकर्ता कंपनी के पुनः संचारण अधिकार का उलंघन करता है जैसे कि धारा ३७ कॉपीराइट अधिनियम में वर्णित है।टेलीविज़न चैनल्स के सिग्नल धारा २(७) माल विक्रीय अधिनियम के तहत माल है।

यह कि मेसर्स बी सी सी केबल नेटवर्क/ सिटी भाटिया एक केबल संचालक है और टीवी चैनल्स उपलब्ध करने के व्यापर में है। मेसर्स बी सी सी केबल नेटवर्क के मालिक श्री राजेश बंसोड़ जिनका कण्ट्रोल रूम C/o अभिषेक केबल नेटवर्क, होटल आरके पैलेस, मारवाही रोड, पेड्रा टाउन, बिलासपुर - 495117 और बैंक ऑफ़ इंडिया के पास C/O सिटी भाटिआ, दयाल बंद, बिलासपुर सहर, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ – 495006 में उपस्थित है।उक्त केबल संचालक शिकायतकर्ता कंपनी के वैध लाइसेंस/प्राधिकार के बिना स्टार चैनल्स का संचारण डी डी फ्री डिश के डीटी अच् प्लेटफार्म की फीड गैरकानूनी तरीके से ले करके पेड्रा टाउन में कर रहे है। यह भी स्पष्ट किया जाता है उक्त केबल संचालक स्टार भुगतान चैनलों का फीड उपभोक्ता सेट टॉप बॉक्स के ज़रिये चुरा रहा है जो कि केवल अंतिम उपभोक्ता के लिए होता है। उक्त गैरकानूनी संचारण एक संज्ञेय अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा ३७९ के तहत दंडनीय है। उक्त विडियो रिकॉर्डिंग सीडी में सबूत के तौर पर शिकायत के सह प्रस्तुत कि जा रही है।

यह भी प्रस्तुत है कि मेसर्स बी सी सी केबल नेटवर्क/सिटी भाटिया के द्वारा उक्त स्टार चैनल्स का अनाधिकृत संचारण/पून संचारण एक संज्ञेय अपराध है और जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा ३७९ के अन्तर्गत चोरी है। और यह कॉपीराइट अधिनियम की धारा ३७ और ५१ के अन्तर्गत शिकायतकर्ता कंपनी के कॉपीराइट और पुनः प्रसारण अधिकारों का भी उलंघन है। यह भी प्रस्तुत है कि शिकायतकर्ता कंपनी के कॉपीराइट जो कि चैनल्स/सिग्नल के बारे में है, का भी उलंघन, कॉपीराइट अधिनियम की धारा ६३ और ६५ के अन्तर्गत अपराध कारित करता है।

अतः आपसे प्रार्थना की जाती है कि उक्त मामले का संज्ञान लें और एक प्रथान सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता कि धारा ३७९ सहित कॉपीराइट अधिनियम की धाराएं ३७, ५१, ६३, ६५ और ६९ के अन्तर्गत निम्न हे विरुद्ध दायर करने की कृपा करते हैं।

इसके अलावा आपसे यह भी प्रार्थना की जाती है कि पायरेसी जैसे संज्ञेय अपराध और शिकायतकर्ता कंपनी के प्रसारण अधिकारों के उलंघन के अपराध को रोकने के लिए विशेषतः कॉपीराइट अधिनियम की धारा ६४ के तहत सभी ज़रूरी कदम उठाएं और साथ साथ पायरेटेड फीड करने में उपयोग होने वाले उपकरणों को सील करें, सभी जाने/अनजाने अभियुक्तों को गिरफ्तार करें और कृपया ऐसी कोई भी कार्यवाही करें जिसे आप उचित समझे।

आपका आभारी,